विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 मई 2008

फा. क्र. 6-2-2008-इक्कीस-ब(दो).—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. (1) **इन नियमों का संक्षिप्त नाम.**—मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कर्मचारी (पेंशन) नियम, 2008 है.

(2) ये 2 अप्रैल, 1997 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

2. **लागू होना.**—इन नियमों में अभिव्यक्त रूप में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये नियम निम्नलिखित को लागू होंगे:—

(1) मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड में कार्यरत तथा उसके पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 22 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आमेलित समस्त कर्मचारियों, और

(2) समस्त कर्मचारी जिन्हें मध्यप्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक/तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा 1 अप्रैल 1997 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया हो:

परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्हें 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए ज्ञापन क्र. एफ-9-3-2003-नियम-चार, भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2005 तथा समसंख्यांक दिनांक 29 दिसम्बर 2005 तथा उसके पश्चात् जारी पश्चातवर्ती अनुदेशों के अनुसार अंशदायी पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे तथा उनके मामले में आवश्यक समान रकम बजट में ऐसी मांग सम्मिलित करके राज्य प्राधिकरण द्वारा मांगी जाएगी तथा राज्य सरकार अपेक्षित निधि उपलब्ध कराएगी और इस प्रकार प्राप्त की गई रकम उक्त स्कीम के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जाएगी तथा संधारित की जाएगी.

3. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "**लेखा अधिकारी**" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 10 के अधीन नियुक्त किया गया लेखा अधिकारी;

(ख) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम, 1987 का 39);

(ग) "**परिलब्धियां**" से अभिप्रेत है वे परिलब्धियां जो कोई कर्मचारी, यथास्थिति उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या उसकी मृत्यु की तारीख पर प्राप्त कर रहा था;

(घ) "**कर्मचारी**" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम, 22 के अधीन आमेनित मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कोई कर्मचारी या जिसे मध्यप्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक/तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा 1-4-1997 के पश्चात् नियुक्त किया है या अन्य शासकीय विभाग से आमेलन द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवा में कोई पद धारण करने वाला अधिकारी/कर्मचारी,

(ङ) "**पेंशन निधि**" से अभिप्रेत है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित तथा संधारित पेंशन निधि;

(च) "**सरकार**" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) "**सदस्य सचिव**" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव;

(ज) "**पेंशन**" से अभिप्रेत है कर्मचारियों को देय परिवार पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान तथा अन्य प्रसुविधाएं;

(झ) "**राज्य प्राधिकरण**" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण.

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इसमें प्रयोग की गई हैं तथा परिभाषित नहीं हैं किन्तु मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो इन नियमों में उनके लिए दिया गया है.

4. **पेंशन.**—समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन इन नियमों के अधीन शासित होने वाले कर्मचारियों को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी.

5. **पेशन निधि का गठन.**—(1) राज्य प्राधिकरण एक "पेंशन निधि" का गठन करेगा जिसमें सम्पूर्ण अनुदान जमा किया जाएगा तथा जो राज्य सरकार द्वारा पेंशन के प्रयोजन के लिये राज्य प्राधिकरण को स्वीकृत किया जाए.

(2) वह रकम जो राज्य प्राकिरण द्वारा पेंशन के प्रयोजन के लिए जहां तक राज्य सरकार से पूर्व में ही प्राप्त कर ली है, प्रारम्भिक रूप से राज्य प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि में जमा की जाएगी.

(3) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेंशन के भुगतान के मद्दे अनुमानित मांग राज्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाएगी तथा राज्य सरकार आगामी वित्त वर्ष के प्रारंभिक मास में अपेक्षित रकम उपलब्ध कराएगी और इस प्रकार प्राप्त रकम राज्य प्राधिकरण द्वारा पेशन निधि में जमा की जाएगी.

(4) पेंशन निधि की समस्त रकम किसी अनुसूचित बैंक में तथा ऐसी रीति में विनिहित की जाएगी जैसा कि राज्य प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए.

6. **पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया.**—(1) इन नियमों के अधीन शासित कर्मचारियों को देय पेंशन को तैयार करने तथा गणना के लिये, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में यथा अधिकथित तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया इन नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय लागू होगी.

(2) संबंधित कर्मचारी के पेंशन कागज पत्र तैयार किए जाएंगे तथा कार्यालय प्रमुख, जिसके अधीन यथास्थिति, कर्मचारी कार्य कर रहा है या कार्य कर रहा था के माध्यम से सदस्य सचिव को अग्रेषित किए जाएंगे. इन कागज पत्रों की लेखा अधिकारी द्वारा शीघ्रता से संवीक्षा की जाएगी. इसका यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पेंशन मामला सभी दृष्टि से क्रम में है, लेखा अधिकारी सदस्य सचिव के परामर्श से मामले को अंतिम रूप देगा और उसके पश्चात् मामला कार्यपालक सभापति (चेयरमेन) के समक्ष रखा जाएगा तथा कार्यपालक सभापति (चेयरमेन) पेंशन के लिये उस पर स्वीकृति प्रदान करेगा. पेंशन भुगतान आदेश सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जाएगा तथा पेंशन भुगतान करने के लिये लेखा अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा.

(3) अपने कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा विहित समस्त प्ररूप इन नियमों द्वारा शासित कर्मचारियों को लागू होंगे.

(4) पेंशन के समस्त भुगतान सीधे पेंशनरों को लेखा अधिकारी द्वारा या शासकीय सेवक होने की दशा में बैंक के माध्यम से किए जाएंगे.

(5) राज्य प्राधिकरण का लेखा अधिकारी इन नियमों के अधीन देय पेंशन के प्रयोजन के लिए कोषालय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा.

(6) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति कर्मचारियों या परिवार पेंशन के धारकों के नाम तथा पेंशन के रूप में संवितरित की गई कुल रकम, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, संराशिकरण तथा परिवार पेंशन (पृथक् रूप से दर्शाई जाए) दर्शाते हुए एक विवरणी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के लिये लेखा अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी.

7. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2008

फा. क्र.6-2-2008-इक्कीस-ब-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 7 मई 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

Bhopal, the 7th May 2008

F. No. 6-2-2008-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice of High Court.

Madhya Pradesh, the State Government, hereby, makes the following rules relating to pension for the employees of State Legal Service Authority, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Employees (Pension) Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come in force from 2nd day of April, 1997.

2. **Application.**—Save as otherwise expressly provided in these rules, these rules shall apply to,—

(1) all the employees working in the erstwhile Madhya Pradesh Vidhik Sahayta Tatha Vidhik Salah Board and thereafter absorbed in the Madhya Pradesh State Legal Services Authority under rule 22 of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996; and

(2) all the employees who have been appointed by the Madhya Pradesh State Legal Authority, High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority or Taluk/Tehsil Legal Services Committee on or after 1-4-1997;

Provided that the employees who have been appointed on or after 1-1-2005 shall be governed by the "Contributory Pension Scheme" as per Memo No. F-9-3-2003-Niyam-Char, Bhopal dated 13-4-2005 and even No. dated 29-12-2005 issued by the Government of Madhya Pradesh, Finance Department and the subsequent instructions issued thereunder and in their cases, the requisite matching amount shall be demanded by the State Authority by inclusion of such demand in the Budget and the State Govenment shall provide the requisite fund and the amount so received, shall be deposited and maintained as per the procedure laid down under the said scheme.

3. **Definitions.**—(1) In these Rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Accounts Officer" means the Accounts Officer appointed under Rule 10 of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996;

(b) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987).

(c) "Emoluments" means the emoluments which an employee was receiving immediately before his/her retirement or on the date of his/her death, as the case may be.

(d) "Employee" means an employee of madhya Pradesh State Legal Services Authority absorbed under Rule 22 of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996 or who has been appointed by the Madhya Pradesh State Legal Authority, High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority or Taluk/Tehsil Legal Services Committee after 1-4-1997 or officer/employee holding any post in the services of the State Legal Services Authority by absorption from other Government Department;

(e) "Pension Fund" means the pension fund constituted and maintained by the State Legal Services Authority;

(f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(g) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority appointed under sub-section (3) of Section 6 of the Act;

(h) "Pension" means pension, family pension, Death-cum-Retirement Gratuity and other benefit payable to employee;

(i) "State Authority" means Madhya Pradesh State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996 and in the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976 shall have same meaning as assigned to them in those Rules.

4. **Pension.**—The pension as payable to the employees of the State Government under the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976 as amended from time to time shall be applicable *mutatis mutandis* to the employees governed under these Rules.

5. **Constitution of Pension Fund.**—(1) The State Authority shall constitute a "Pension Fund" in which entire grant shall be credited and which may be sanctioned to the State Authority by the State Government for the purpose of pension.

(2) The amount which has already been received so far by the State Authority for the purpose of pension from the State Government shall initially be deposited by the State Authority in the Pension Fund.

(3) The estimated demand towards payment of Pension for the ensuing financial year shall be sent to the State Government by the State Authority and the State Government shall provide the requisite amount in the beginning month of the next financial year and the amount so received shall be deposited in the Pension Fund by State Authority.

(4) All the amount of the Pension Fund shall be invested in a Scheduled Bank or in such manner as may be prescribed by the State Authority in this behalf.

6. **Procedure for Sanction of Pension.**—(1) For preparation and calculation of the pension payable to the employee governed under these rules, the procedure as laid down in the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976 and as amended from time to time, shall be applicable except otherwise specifically Provided in these Rules.

(2) The pension papers of the concerned employee shall be prepared and forwarded to the Member Secretary through the Head of the Office under whom the employee is working or was working as the case may be. These papers shall be scrutinized by the Accounts Officer expeditiously. After satisfying himself that the pension case is in order in all respects, the Accounts Officer shall finalize the matter in consultation with the Member Secretary and thereafter the matter shall be placed before the Executive Chairman and the Executive Chairman shall accord sanction thereon for the pension. The Pension Payment Order shall, be issued by the Member Secretary and forwarded to the Accounts Officer for making the payment of pension.

(3) All forms prescribed by the State Government for the purpose of payment of pension to its employees, shall be applicable to employees governed by these Rules.

(4) All payments of pension shall be made by the Accounts Officers to pensioners directly or through the Bankers as is done in the cases of government servants.

(5) The Accounts Officer of the State Authority shall exercise the powers of the Treasury Officer for the purpose of pension payable under these Rules.

(6) At the end of every financial year, returns showing the names of retired employees or holders of family pension and total amount disbursed as pension, death-cum-retirement gratuity, commutation and family pension (to be shown separately) during the financial year shall be prepared by the Accounts Officer, for being submitted to the appropriate authority.

7. **Interpretation.**—If any question arises as to the interpretation of these Rules, it shall be referred to the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh and Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority and their decision thereon shall be final.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. K. VAIDYA, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.